न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 34/2018

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		गणपत पुत्र रामप्रसाद जाति आचार्य निवासी पाटोदी, जिला बाड़मेर (मैसर्स बालाजी आईस्क्रीम पाटोदी जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 11.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालाली आईस्क्रीम पाटोदी जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **15.05.2015** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **कुल्फी** के 200 पीस को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **28 कुल्फी** पीस वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–799** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **कुल्फी** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **कुल्फी** का नमूना **अवमानक (Sub-statndard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही किया गया। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नही है। ऐसे मे अप्रार्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 15000/— का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर